



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

2034 / फीस / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग / 2023

दिनांक 09/01/23.....

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मामा विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्राक्धानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.07.2023 एवं 04.08.2023 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की सभा बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
			Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee(15%)	Total
1	BBA	20,000.00	17,000	3,000	20,000
2	MBA (Finance / Marketing/ HR / Entrepreneurship)	40,000.00	34,000	6,000	40,000
3	DIPLOMA ENGINEERING	29,500.00	25,075	4,425	29,500
4	B TECH	44,000.00	37,400	6,600	44,000
5	M TECH	58,000.00	49,300	8,700	58,000
6	DIPLOMA PHARMACY	70,000.00	44,370	7,830	52,200
7	BACHELOR OF PHARMACY	60,000.00	46,920	8,280	55,200
8	MASTER OF PHARMACY	80,000.00	66,300	11,700	78,000
9	DCA	8,000.00	6,800	1,200	8,000
10	PGDCA	15,000.00	12,750	2,250	15,000
11	BCA	19,000.00	16,150	2,850	19,000
12	MCA	32,000.00	27,200	4,800	32,000

[Handwritten Signature]

//02//

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

13	B.COM	20,000.00	17,000	3,000	20,000
14	M.COM	30,000.00	25,500	4,500	30,000
15	BA	10,500.00	8,925	1,575	10,500
16	MA	12,600.00	10,710	1,890	12,600
17	BACHELOR OF SCIENCE	16,400.00	13,940	2,460	16,400
18	MASTER OF SCIENCE	17,200.00	14,620	2,580	17,200
19	DIPLOMA AGRICULTURE	36,400.00	30,940	5,460	36,400
20	BSC AGRICULTURE	50,200.00	42,670	7,530	50,200
21	DIPLOMA IN EDUCATION	40,000.00	30,855	5,445	36,300
22	BACHELOR OF EDUCATION	50,000.00	35,275	6,225	41,500
23	MASTER OF EDUCATION	50,000.00	42,500	7,500	50,000
24	B.Sc B.Ed	23,000.00	19,550	3,450	23,000
25	B LIB	25,000.00	21,250	3,750	25,000
26	M.LIB	30,000.00	25,500	4,500	30,000
27	BHMCT	57,600.00	48,960	8,640	57,600
28	BDS	180,000.00	153,000	27,000	180,000
29	MDS	506,000.00	430,100	75,900	506,000
30	LLB	38,000.00	32,300	5,700	38,000
31	BA LLB	22,200.00	18,870	3,330	22,200
32	BSC NURSING	69,400.00	58,990	10,410	69,400
33	DIPLOMA COURSES	29,400.00	24,990	4,410	29,400
34	BACHELOR OF MEDICAL LAB TECHNICIAN	35,000.00	29,750	5,250	35,000
35	PHD	90,000.00	76,500	13,500	90,000

नोट- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2023-24 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

SKG

// 03 //

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।
 6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।
- (अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

skoy
(सुनील खरे)
प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2023

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

प्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन)
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल